BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 745 OF 2023

IN THE MATTER OF:

Mamta Sharma ...... APPLICANT

Versus

Gram Sabha&Ors ...... RESPONDENT

INDEX *NDOH : 03.10.2024*

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NOS.
1.	Reply / Response on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board along with supporting Affidavit	*1-4*
2.	**Annexure A/1:** Authorisation Letter.	*5*
3.	**Annexure A/2 (Colly):** A true copy of the inspection report dated 13.07.2024, 02.08.2024 & 07.08.2024 and the direction / action taken report is dated 30.09.2024	*6-16*

UTTAR PRADESH
POLLUTION CONTROL BOARD

THROUGH

AMIT SHUKLA
Advocate
D-54, Sector 48
NOIDA – 201 301
+91 9999933220; 9999333220
Email: amit.shukla@lexweb.in

PLACE: NEW DELHI
DATED: 01.10.2024

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 745 OF 2023

IN THE MATTER OF:

Mamta Sharma …… APPLICANT

Versus

Gram Sabha & Ors …… RESPONDENT

REPLY / RESPONSE ON BEHALF OF UTTATR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 16.07.2024 directed as under:

*"We also failed to understand, why Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as '**UPPCB**') has not taken any action in this matter when violation is evident. Let Member Secretary, UPPCB submit explanation in this regard and Regional Officer, UPPCB, Aligarh shall remain present on next date."*

2. The Applicant has preferred the present Original Application by impleading the following Respondents:

   (i) Gram Panchayat Arrana
   Tehsil Khair, Aligarh, UP

   (ii) Block Development Officer
   Khair, District Aligarh, UP

(iii) District Panchayat Raj Officer
Aligarh, UP

(iv) Chief Development Officer
Aligarh

(v) Sub Divisional Magistrate
Khair, Aligarh

(vi) District Magistrate
Aligarh, UP

3. That this Hon'ble Tribunal has vide its order dated 02.01.2024 was pleased to issue notices to the respondents directing them to file their repliesspecifically responding to all material averments made in the application withinone month.

4. That as the Uttar Pradesh Pollution Control Board was not party to the Original Application, the notice was not issued to the Board by the Notice Branch of this Hon'ble Tribunal and UPPCB could not act on the alleged violation.

5. That the UPPCB is committed to take action against any environmental violation to its notice. In the present case, the Board was not aware of the violation, hence could not take the requisite action.

6. That as soon as the matter was brought to the notice of the Board, the copy of the Original Application was obtainedand a team of the Pollution Control Board visited the site for inspection on 13.07.2024, 02.08.2024 & 07.08.2024.The Board has issued directions to Jila Panchayat Raj Adhikari, Aligarh u/s 5 of the Environmental (Protection) Act, 1986.The inspection report dated 13.07.2024, 02.08.2024 & 07.08.2024 and the direction/ action taken report is dated 30.09.2024annexed herewith and marked as **ANNEXURE R/2**(Colly).

UTTAR PRADESH
POLLUTION CONTROL BOARD

THROUGH

AMIT SHUKLA
Advocate
D-54, Sector 48
NOIDA – 201 301
+91 9999933220; 9999333220
Email: amit.shukla@lexweb.in

PLACE: NEW DELHI
DATED: 01.10.2024

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No. 745/2023

IN THE MATTER OF:
Mamta Sharma …… APPLICANT

Versus

Gram Sabha & Ors …... RESPONDENT

I, Radhey Shyam, S/o Sh. Ram Swaroop, aged about 51 years presently posted as Regional Officer, Aligarh, UPPCB, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I am the Regional Officer of Uttar Pradesh Pollution Control Board at Aligarh and as such conversant with the facts and circumstances of the case and competent to swear the present Affidavit.

2. That I have gone through the contents of the accompanying response and the contents of the same are true and correct as per my knowledge based on record and legal knowledge obtained

3. That the Annexures annexed to the present accompanying response are correct and true copy to my knowledge and belief on the basis of the records.

DEPONENT

VERIFICATION:

I the above named deponent do hereby verify that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at Aligarh on this 01st day of October 2024

DEPONENT

809
S. No. ......Date.........Time.
Solemnly affirmed before me
Affidavit by Shri............
Identified by Shri............
who has been heard the contents here and have bought admitted the same to be correct.
place

GULAB RAI
(Notary Govt. of India)
(Notary) G O I, Aligarh
01/10/2024

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. :

Date : *30.09.2024*

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 745/2023

Mamta Sharma

.......APPLICANT

Versus

Gram Sabha

......RESPONDENT(S)

AUTHORIZATION

Hon'ble Sir,

The above mentioned case **Sri Radheyshyam, Regional Officer**, Uttar Pradesh Pollution Control Board, **Aligarh** is hereby nominated/authorized to file reply/response/action taken report/compliance/factual report on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board, T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow in compliance to the directions passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in the captioned matter.

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

टी.सी.– 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ – 226 010
दूरभाष : 0522–2720828, 2720831
फैक्स : 0522–2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेब साइट : www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow – 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831,
Fax : 0522-2720764, 2720676
e-mail : info@uppcb.com
Web Site : www.uppcb.com

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–745/2023 ममता शर्मा बनाम ग्राम पंचायत अर्राना व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.05.2024 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–745/2023 ममता शर्मा बनाम ग्राम पंचायत अर्राना व अन्य में पारित आदेश के अनुक्रम में आप द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में शिकायती स्थल का निरीक्षण दिनांक 13.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ग्राम प्रधान उपस्थित थे। आख्या निम्नवत् है–

1. निरीक्षण के समय ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायतकर्ता श्रीमती ममता शर्मा एन0जी0ओ0 चलाती हैं। इनके द्वारा पूर्व में भी तालाब के सम्बन्ध में शिकायत तहसील पर की गयी थी, जिस पर तहसीलदार एवं अन्य अधिकारियो द्वारा जांच किया गया है।
2. निरीक्षण के समय ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि गाटा संख्या–38 में बहुत छोटा तालाब है, जिसका क्षेत्रफल लगभग–3 बीघा है, लेकिन लगभग–200–300 गज क्षेत्रफल में ही पानी एकत्रित पाया गया। उक्त तालाब गांव के अन्तिम बिन्दु पर स्थित है, जिसमें कुछ घरों का पानी नाली के माध्यम से तालाब में आता है। तालाब में आने से पहले नाली में ग्रीड चैम्बर मेस बार के माध्यम से गंदगी शॉलिड वेस्ट, पत्ते, पॉलिथीन आदि को पृथक कर लिया जाता है। शिकायतकर्ता का मकान तालाब से कुछ दूरी पर है, लेकिन उनकी जमीन तालाब से सटी हुई है। तालाब से बाहर निकलने का कोई नाला/नाली नहीं है।
3. निरीक्षण के समय उपस्थित ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त तालाब को शोन्दर्यीकरण एवं खुदाई वर्ष 2022 में करायी गयी है। तभी से श्रीमती ममता शर्मा द्वारा शिकायत की जा रही है। बाद में उनके द्वारा एन0जी0टी0 में भी मुकदमा दायर किया गया है, जो विचाराधीन है। शिकायतकर्ता द्वारा उपजिलाधिकारी, खैर से भी कई बार शिकायत की गयी है, जिसका संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी, खैर द्वारा अभी कुछ माह पूर्व स्थल की जांच की गयी थी और उनके द्वारा अवगत कराया गया था कि आप द्वारा जब शिकायत/मुकदमा एन0जी0टी0 में दायर किया गया है तो बार–बार शिकायत मत करिये मा0 एन0जी0टी0 द्वारा जो निर्णय पारित किया जायेगा, उसका अनुपालन किया जायेगा।
4. निरीक्षण के समय तालाब के आस–पास कोई इकाई या कॉमर्शियल कार्य नहीं हो रहा है, जिससे दूषित उत्प्रवाह तालाब में नहीं जाता हुआ पाया गया।
5. ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि उपजिलाधिकारी, खैर, अलीगढ़ को उक्त एन0जी0टी0 में यादर केस के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से जानकारी है। सारे दस्तावेज उपजिलाधिकारी महोदय को उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा आवश्यकता होगी तो अभी तक तालाब की शिकायत के सम्बन्ध में सभी दस्तावेज मुझसे प्राप्त किये जा सकते हैं।
6. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है–

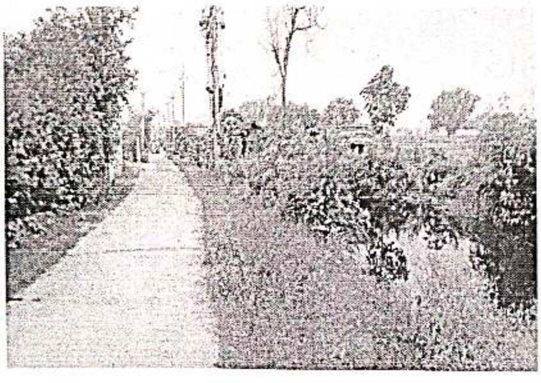

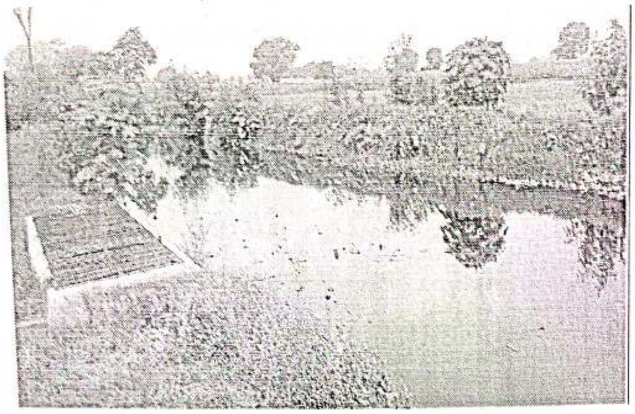

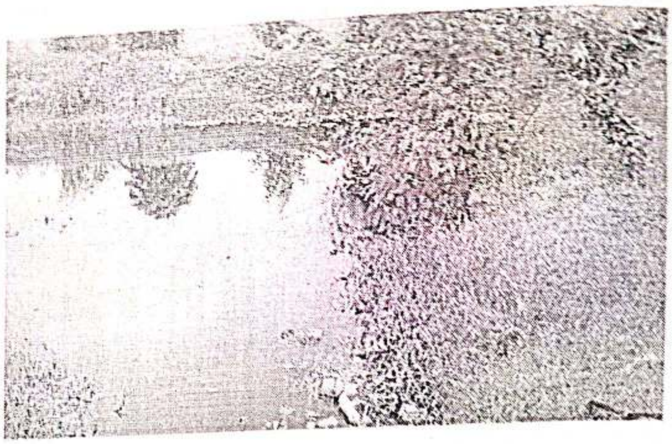

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एंव अग्रीम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

13-7-24
(जितेन्द्र कुमार)
अनुश्रवण सहायक

13/07/24
(उपेन्द्र प्रसाद)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–745/2023 ममता शर्मा बनाम ग्राम पंचायत अर्राना व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.07.2024 के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–745/2023 ममता शर्मा बनाम ग्राम पंचायत अर्राना व अन्य में पारित आदेश के अनुक्रम में आप द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में शिकायती स्थल का निरीक्षण दिनांक 02.08.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता श्रीमती ममता शर्मा उपस्थित थीं। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता श्रीमती ममता शर्मा द्वारा 24 वैदिक उपवन ट्रस्ट नाम का एन0जी0ओ0 संचालित किया जाता है। इनके द्वारा पूर्व में भी तालाब के सम्बन्ध में शिकायत तहसील पर की गयी थी, जिस पर तहसीलदार एवं अन्य अधिकारियो द्वारा जांच किया गया है।
2. निरीक्षण के समय उपस्थित ग्रामीण श्री केशव देव द्वारा अवगत कराया गया कि गाटा संख्या–38 जो ग्राम सभा की जमीन है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग–3 बीघा है, जिसमें लगभग–300 गज क्षेत्रफल में तालाब बना हुआ है। उक्त तालाब गांव के अन्तिम बिन्दु पर स्थित है, जिसमें अलीगढ़–खैर मार्ग पर स्थित ग्राम–अर्राना के कुछ घरों का पानी एवं वर्तमान वर्षा ऋतु के दौरान बारिश का पानी भी नाली के माध्यम से तालाब में आता है। तालाब में आने से पहले नाली में ग्रीड चैम्बर मेस बार के माध्यम से गंदगी शॉलिड वेस्ट, पत्ते, पॉलिथीन आदि को पृथक कर लिया जाता है। शिकायतकर्ता का मकान तालाब के अन्तिम छोर से लगभग–10–12 मीटर की दूरी पर स्थित है। तालाब के अक्षांश–27.930367 एवं देशान्तर–77.884457 है।

   निरीक्षण के समय उपस्थित ग्रामीण एवं ग्राम प्रधान से दूरभाष पर हुई वार्ता के अनुक्रम में अवगत कराया गया कि तालाब का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण जून, 2022 ग्राम पंचायत की जमीन में कराया गया है। तभी से श्रीमती ममता शर्मा द्वारा शिकायत की जा रही है। बाद में उनके द्वारा एन0जी0टी0 में भी शिकायत दायर किया गया है, जो विचाराधीन है। शिकायतकर्ता द्वारा उपजिलाधिकारी, खैर से भी कई बार शिकायत की गयी है, जिसका संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी, खैर द्वारा अभी कुछ माह पूर्व स्थल की जांच की गयी थी और उनके द्वारा अवगत कराया गया था कि आप द्वारा जब शिकायत/मुकदमा एन0जी0टी0 में दायर किया गया है तो बार–बार शिकायत मत करिये। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा जो निर्णय पारित किया जायेगा, उसका अनुपालन किया जायेगा।

3. गूगल सैटेलाइट इमेज के अनुसार शिकायतकर्ता का मकान जून, 2014 तथा दिनांक 14.02.2018 तक उक्त स्थल पर स्थापित नहीं था, बल्कि ग्रामवासियों द्वारा शिकायती स्थल पर गोबर डाला जाता था। गूगल सैटेलाइट से लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है–

(गूगल सैटेलाइट इमेज दिनांक 14.02.2018)

(गूगल सैटेलाइट इमेज जून, 2014)

4. गूगल सैटेलाइट इमेज के अनुसार शिकायतकर्ता का मकान दिनांक 02.04.2019 तथा दिनांक 25.03.2022 में बन गया था, परन्तु तालाब का निर्माण नहीं हुआ था। गूगल सैटेलाइट से लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है–

(गूगल सैटेलाइट इमेज दिनांक 02.04.2019)

(गूगल सैटेलाइट इमेज दिनांक 25.03.2022)

5. गूगल सैटेलाइट इमेज सितम्बर, 2022 एवं मई, 2024 के अनुसार तालाब एवं ग्रीट चैम्बर का निर्माण कर लिया गया। गूगल सैटेलाइट से लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है–

(गूगल सैटेलाइट इमेज सितम्बर, 2022)

(गूगल सैटेलाइट इमेज मई, 2024)

(गूगल सैटेलाइट स्ट्रीट इमेज सितम्बर, 2022

6. निरीक्षण के समय तालाब के आस–पास एवं ग्राम अर्राना में कोई औद्योगिक इकाई या व्यवसायिक गतिविधि होती हुई नहीं पायी गयी, जिससे दूषित उत्प्रवाह तालाब में निस्तारित होने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। उक्त तालाब में ग्राम अर्राना की स्टेट हाईवे की दक्षिण दिशा के वर्षा का जल एवं आंशिक आबादी का घरेलू सीवेज बिना समुचित शोधन के निस्तारित किया जाता है। ग्राम अर्राना की स्टेट हाईवे की दक्षिण दिशा में स्थित लगभग–80 घरों (आबादी 400) से निस्तारित होने वाले घरेलू उत्प्रवाह की अनुमानित मात्रा लगभग–25 कि०ली०/दिन है। उक्त घरेलू सीवेज का उपचार बायो रेमिडेशन तकनीकी से सुगमता से किया जा सकता है।

7. उक्त गांव से प्रतिदिन जनित होने वाले घरेलू ठोस अपशिष्ट की मात्रा प्रति व्यक्ति 60 ग्राम/दिन के आधार पर लगभग–48 किग्रा0/दिन है। ग्राम प्रधान से दूरभाष पर हुई वार्ता के अनुसार जिन ग्रामीण व्यक्तियों के पास अपने खेत–खलियान नहीं हैं, ऐसे लगभग–5–6 घरों

व्यक्तियों द्वारा पाले गये प्रति पशु से जनित गोबर आदि वेस्ट से लगभग–25–30 कि0ग्रा0/दिन की दर से लगभग–200 कि0ग्रा0/दिन गोबर/वेस्ट जनित होता है, जिसको कम्पोस्ट खाद बनाने जाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत की जमीन पर शिकायतकर्ता के मकान के सामने 05–06 घूरे (गोबर/वेस्ट के ढ़ेर) पडे हुए पाये गये। उक्त के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान द्वारा सूचित किया गया कि उक्त घूरे शिकायतकर्ता के निर्मित मकान से पूर्व से बने हैं।

8. ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि उपजिलाधिकारी, खैर, अलीगढ़ को उक्त एन0जी0टी0 में दायर केस के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से जानकारी है। सारे दस्तावेज उपजिलाधिकारी महोदय को उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा आवश्यकता होने पर तालाब की शिकायत के सम्बन्ध में सभी दस्तावेज मुझसे प्राप्त किये जा सकते हैं।
9. निरीक्षण के समय तालाब का जल नमूना एकत्रण एवं तालाब के समीप स्थित श्रीमती शकुन्तला देवी के आवास में स्थापित हैण्ड पम्प का जल नमूना एकत्रित कर क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ की प्रयोगशाला में जमा कराया गया है। विश्लेषण आख्या अपेक्षित है।
10. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है–

11. निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता द्वारा तालाब एवं गोबर/कूडे से गन्दगी, दुर्गन्ध आदि से समस्या होना अवगत कराया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया उक्त तालाब में मिट्टी डलवाकर समतल करा दिया जाये तथा मेरे आवास के सामने गोबर/कूडे को हटवा दिया जाये, जिससे मेरी समस्या का समाधान हो सके।

<u>संस्तुतिः</u>

उक्त तालाब का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम समाज की जमीन पर कराया गया है तथा गोबर/कूडे का निस्तारण भी ग्राम समाज की जमीन पर ग्रामवासियों द्वारा किया जा रहा है। अतः गोबर/कूडे को अन्यत्र आबादी से दूर हटवाने, तालाब को भू–राजस्व नियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार समतल कराये जाने एवं उपरोक्त वर्णित घरेलू सीवेज का उपचार बायो रेमिडेशन तकनीकी से किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव अर्राना द्वारा नियमानुसार किया जाना है, जिस हेतु ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव को नोटिस प्रेषित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एंव अग्रीम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)	(जितेन्द्र कुमार)	(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
प्रयोगशाला सहायक	अनुश्रवण सहायक	सहायक वैज्ञानिक अधिकारी

<u>क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,</u>

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–745/2023 ममता शर्मा बनाम ग्राम पंचायत अर्राना व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.07.2024 के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–745/2023 ममता शर्मा बनाम ग्राम पंचायत अर्राना व अन्य में पारित आदेश के अनुक्रम में मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़ के निर्देश दिनांक 31.07.2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में शिकायती स्थल का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 07.08.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. शिकायतकर्ता श्रीमती ममता शर्मा द्वारा पूर्व में भी तालाब के सम्बन्ध में तहसील स्तर शिकायत पर की गयी थी, जिस पर उपजिलाधिकारी, खैर, अलीगढ़ व अन्य द्वारा जांच किया गया है **(संलग्नक–1)**।
2. निरीक्षण के समय उपस्थित ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया कि गाटा संख्या–38 जो खतौनी में पीली मिटटी के नाम से दर्ज है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग–3 बीघा है। इस गाटा में आंशिक गांव की आबादी है एवं लगभग–480 वर्गमीटर (12X40) क्षेत्रफल में तालाब बना हुआ है। उक्त तालाब गांव के अन्तिम बिन्दु पर स्थित है, जिसमें अलीगढ़–खैर मार्ग पर स्थित ग्राम–अर्राना के कुछ घरों का पानी एवं वर्षा ऋतु के दौरान बारिश का पानी भी नाली के माध्यम से तालाब में आता है। निरीक्षण के समय तालाब में आने से पहले नाली में फिल्टर चैम्बर/मेस बार के माध्यम से सॉलिड वेस्ट, पत्ते, पॉलिथीन आदि को पृथक कर लिया जाता है। शिकायतकर्ता का मकान तालाब के अन्तिम छोर से लगभग–10–12 मीटर की दूरी पर स्थित है। तालाब के अक्षांश–27.930367 एवं देशान्तर–77.884457 है।
3. निरीक्षण के समय उपस्थित ग्राम प्रधान श्री डम्बर सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि भूमि प्रबन्धक समिति की बैठक दिनांक 28.04.2022 में सर्वसम्मिति से पारित प्रस्ताव के कम में तालाब का निर्माण मनरेगा के अन्तर्गत किया गया है।
4. निरीक्षण के समय तालाब के आस–पास एवं ग्राम अर्राना में कोई औद्योगिक इकाई या व्यवसायिक गतिविधि दृष्टिगोचर नहीं पायी गयी, जिससे प्रदूषित औद्योगिक उत्प्रवाह के तालाब में निस्तारित होने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है।
5. उक्त तालाब में स्टेट हाईवे संख्या–334D के दक्षिण दिशा में स्थित ग्राम अर्राना की आंशिक आबादी का घरेलू उत्प्रवाह बिना समुचित शोधन के एवं वर्षा का जल निस्तारित किया जाता है। ग्राम अर्राना की स्टेट हाईवे की दक्षिण दिशा में स्थित लगभग–18 घरों (आबादी 90) से निस्तारित होने वाले घरेलू उत्प्रवाह की अनुमानित मात्रा लगभग–06 कि0ली0/दिन है। उक्त घरेलू सीवेज का उपचार बायो रेमिडेशन तकनीकी व अन्य सुलभ विधि से किया जा सकता है। उक्त तालाब में घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण बिना किसी शोधन के किये जाने से तालाब की जल की गुणता प्रभावित होना स्वाभाविक है।
6. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 02.08.2024 को किये गये निरीक्षण के समय तालाब से एकत्रित उत्प्रवाह नमूने में प्रदूषणकारी प्रचालक बी0ओ0डी0 की मात्रा–52 मि0ग्रा0/ली0, टी0एस0एस0 की मात्रा–342 मि0ग्रा0/ली0 तथा डी0ओ0 की मात्रा–3.7 मि0ग्रा0/ली0 पायी गयी है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है **(संलग्नक–2)**।
7. ग्राम अर्राना से प्रतिदिन जनित होने वाले घरेलू ठोस अपशिष्ट की मात्रा प्रति व्यक्ति 60 ग्राम/दिन के आधार पर लगभग–5.4 किग्रा0/दिन है। उक्त के अतिरिक्त ग्राम अर्राना के

लगभग—5—6 घरों के व्यक्तियों द्वारा पाले गये पशुओं से जनित गोबर/अन्य वेस्ट 25—30 कि0ग्रा0/दिन/प्रतिपशु की दर से लगभग—200 कि0ग्रा0/दिन जनित होता है, जिसको ग्रामीणों द्वारा कम्पोस्ट खाद बनाये जाने के उद्देश्य से शिकायतकर्ता के मकान के सामने ग्राम पंचायत की उक्त जमीन गाटा संख्या—38 पर 05—06 घूरे (गोबर/वेस्ट के ढ़ेर) तथा उपलों के ढ़ेर बनाये गये हैं। उक्त के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान श्री डम्बर सिंह द्वारा सूचित किया गया कि उक्त घूरे शिकायतकर्ता के निर्मित मकान से पूर्व से बने हैं।

8. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 02.08.2024 को किये गये निरीक्षण के समय तालाब के समीप स्थित श्रीमती शकुन्तला देवी के आवास के पास स्थापित हैण्ड पम्प का जल नमूना एकत्रित कर क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ की प्रयोगशाला में जमा कराया गया है। विश्लेषण आख्या संलग्न है **(संलग्नक—3)**।
9. गूगल सैटेलाइट इमेज के अनुसार शिकायतकर्ता का मकान दिनांक 14.02.2018 तक उक्त स्थल पर स्थापित नहीं था, बल्कि ग्रामवासियों द्वारा शिकायती स्थल पर गोबर डाला जाता था। गूगल सैटेलाइट से लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है—

(गूगल सैटेलाइट इमेज दिनांक 14.02.2018)

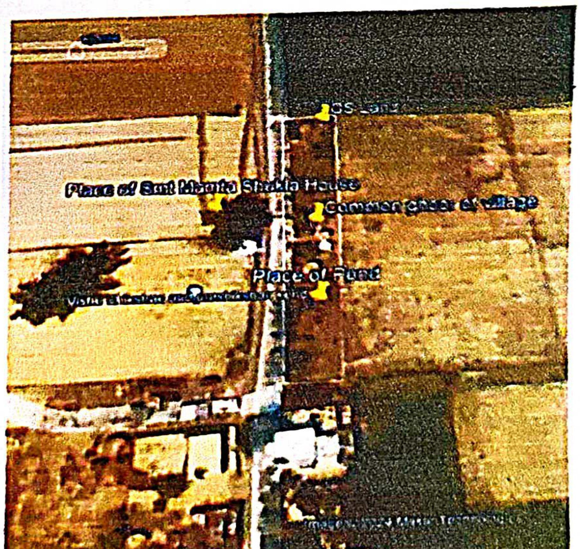

(गूगल सैटेलाइट इमेज जून, 2014)

10. गूगल सैटेलाइट इमेज के अनुसार शिकायतकर्ता का मकान दिनांक 02.04.2019 में बन गया था, परन्तु तालाब का निर्माण दिनांक 25.03.2022 तक नहीं हुआ था। गूगल सैटेलाइट से लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है–

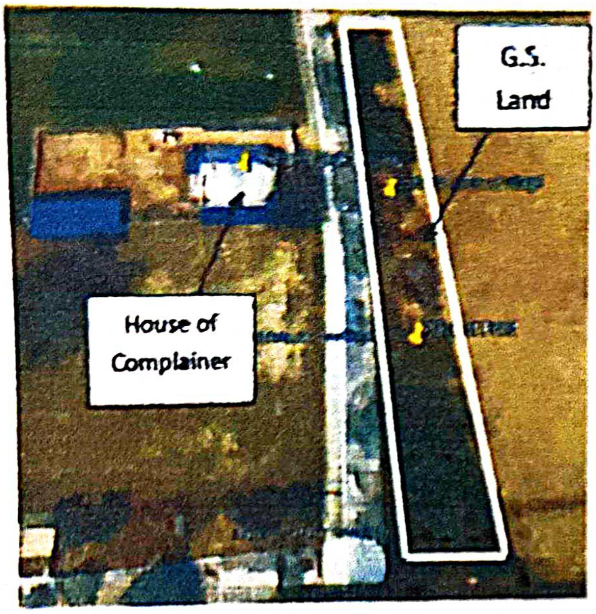

(गूगल सैटेलाइट इमेज दिनांक 02.04.2019)

(गूगल सैटेलाइट इमेज दिनांक 25.03.2022)

11. गूगल सैटेलाइट इमेज सितम्बर, 2022 एवं निरीक्षण दिनांक 07.08.2024 के समय तालाब एवं फिल्टर चैम्बर का निर्माण कर लिया गया। निरीक्षण दिनांक 07.08.2024 के समय तालाब के किनारे वृक्षारोपण पाया गया। निरीक्षण एवं गूगल सैटेलाइट के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है–

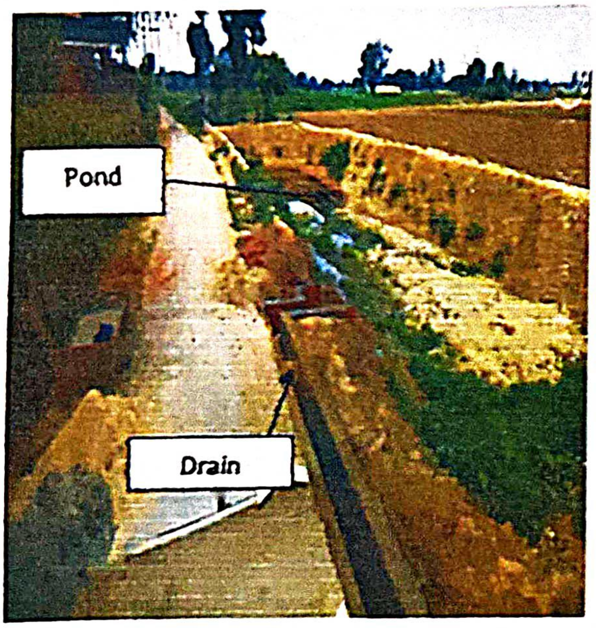

(गूगल सैटेलाइट इमेज सितम्बर, 2022)

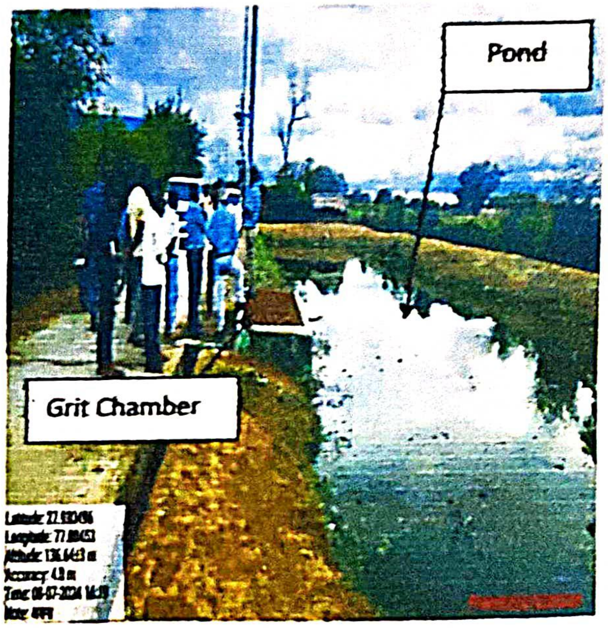

(निरीक्षण दिनांक 07.08.2024 के फोटोग्राफ)

(निरीक्षण दिनांक 07.06.2024 के फोटोग्राफ)

निष्कर्ष–

- ग्राम समाज की भूमि गाटा संख्या–38 पर ग्रामीणों द्वारा गोबर/उपले/कूडे का मण्डारण शिकायतकर्ता के मकान के निर्माण वर्ष 2018–19 से पूर्व से ही किया जा रहा है।
- मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2022 में ग्राम समाज की भूमि गाटा संख्या–38 पर लगभग–480 वर्गमीटर (12X40) क्षेत्रफल में तालाब का निर्माण किया गया है।
- निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता द्वारा गाटा संख्या–38 पर निर्मित तालाब में आशोधित घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण किये जाने एवं उनके घर के सामने कूडे के निस्तारण से गन्दगी, की समस्या से अवगत कराया गया।

संस्तुति

- गाटा संख्या–38 पर मण्डारित कूडे को अन्यत्र आबादी से दूर नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली, 2016 के प्राविधानों के अनुसार एम0आर0एफ0 के माध्यम से निस्तारण किये जाने की कार्यवाही ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव अर्राना द्वारा नियमानुसार किया जायें।
- तालाब का उपयोग ग्रामसभा के वर्षा जलसंचय के रूप में पृथक ड्रेनेज सिस्टम की स्थापना कर किया जा सकता है।
- तालाब में मण्डारित अशोधित घरेलू उत्प्रवाह को शुद्धिकृत कर सिंचाई कार्यों में प्रयोग किया जाये।
- ग्रामसभा अर्राना में जनित होने वाले ब्लेक व ग्रे वाटर के घरेलू उत्प्रवाह को पृथक करते हुए, बायो रेमिडेशन, एस0टी0पी0 अथवा लीच पिट के माध्यम से आवश्यक शुद्धिकरण करने के उपरान्त, मण्डारित पानी को ग्राम अर्राना के किसानों से अनुबन्ध कर सिंचाई कार्यों में प्रयोग किया जाये, जिस हेतु पृथक ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किया जाये।
- उक्त तालाब के आस–पास आवश्यक साफ–सफाई कराया जाये तथा पर्याप्त मात्रा में छायादार वृक्षों का रोपण किया जाये।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति आपके अवलोकनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, अलीगढ़	(उपेन्द्र प्रसाद) सहायक पर्यावरण अभियन्ता उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़	(धनंजय जायसवाल) जिला पंचायत राज अधिकारी अलीगढ	जिला विकास अधिकारी अलीगढ

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक : H17993 / सी–4 / एनजीटी–196 / निर्देश / 2024 दिनांक 30-9-24

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी,
अलीगढ़।

विषयः ग्राम–अर्राना, तहसील–खैर, अलीगढ़ में घरेलू जल निकासी एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–745/2023 ममता शर्मा बनाम पंचायत अर्राना व अन्य में दिनांक 06.05.2024 को पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"....7. *In view of the facts and circumstance of the case, we also consider personal appearance of the CDO, Aligarh, Uttar Pradesh physically or through VC on the next date of hearing to be essential for producing the relevant record and assisting this Tribunal in just and proper adjudication of the questions involved in the case. Accordingly he is directed to remain present before this Tribunal on that date with the relevant record.*

8. *A copy of this order be sent to the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, learned Advocate General, Uttar Pradesh and CDO, Aligarh, Uttar Pradesh by email for requisite compliance."*

अग्रेतर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–745/2023 ममता शर्मा बनाम पंचायत अर्राना व अन्य में दिनांक 16.07.2024 को पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"....5. *Mr. Dambar Singh, Gram Pradhan, Gram Panchayat, Arrana is present. On being questioned as to why prosecution should not be directed to be initiated against Pradhan Gram Panchayat; Chief Development Officer and Block Development Officer for violation of environmental laws besides, he made statement through counsel that he will take appropriate steps to remediate the situation and comply with environmental laws and norms within two months.*

6. *Let him do so within two months and submit a compliance report within one week after expiry of two months from today.*

7. *Chief Development Officer, respondent 4 and Block Development Officer, respondent 2 shall also ensure compliance of the above directions and submit compliance report within one week before the next date and shall also remain present in person before Tribunal on the next date.*

8. *We also failed to understand, why Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as 'UPPCB') has not taken any action in this matter when violation is evident. Let Member Secretary, UPPCB submit explanation in this regard and Regional Officer, UPPCB, Aligarh shall remain present on next date.*

9. *List on 03.10.2024."*

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों से संबंधित प्रकरण ग्राम पंचायत अर्राना से जनित होने, नगरीय सीवेज के उचित शोधन/निस्तारण एवं ठोस अपशिष्ट के समुचित प्रबन्धन किये जाने तथा गाटा संख्या–38 में नाली के पानी को रोकने एवं उपरोक्त को बहाल करने से संबंधित है। क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण ग्राम प्रधान अर्राना की उपस्थिति में दिनांक 13.07.2024 को किया गया तथा पाया गया कि ग्राम अर्राना से जनित घरेलू सीवेज बिना समुचित शोधन के नाली के माध्यम से गाटा संख्या–38 में स्थित लगभग–3 बीघा क्षेत्रफल के तालाब में निस्तारित किया जा रहा है। तालाब से आगे सीवेज के निकालने का कोई नाला/नली की व्यवस्था नहीं पायी गयी। ग्राम पंचायत अर्राना से जनित होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ट के उपचार तथा निस्तारण हेतु समुचित व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.2024 तथा 16.07.2024 के अनुपालन में ग्राम पंचायत अर्राना से जनित होने वाले नगरीय सीवेज के शोधन/निस्तारण एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट के समुचित प्रबन्धन किये जाने हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी, अर्राना एवं खण्ड विकास अधिकारी, खैर को क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्र संख्या–1091/ओ0ए0 नं0–745/2023/24, दिनांक 30.07.2024 एवं पत्र संख्या–1442/ओ0ए0 नं0–745/2023/24, दिनांक 05.09.2024 द्वारा नोटिस प्रेषित की गयी है, जिसकी अनुपालन आख्या अभी तक अप्राप्त है।

टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.up.gov.in

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.up.gov.in

(2)

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के प्राधिकारियों द्वारा प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण दिनांक 02.08.2024 को करते हुए पत्र दिनांक 13.08.2024 के माध्यम से आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गई है। निरीक्षण आख्यानुसार शिकायती स्थल पर तालाब का निर्माण वर्ष 2022 में किया गया तथा शिकायतकर्ता द्वारा अपने मकान का निर्माण वर्ष 2019 में किया गया है। निरीक्षण के समय तालाब के आस–पास एवं ग्राम अर्राना में कोई औद्योगिक इकाई या व्यवसायिक गतिविधि नहीं पायी गयी, जिससे दूषित उत्प्रवाह के तालाब में निरतारित होने की कोई सम्भावना नहीं है। उक्त तालाब में ग्राम अर्राना की स्टेट हाईवे की दक्षिण दिशा के वर्षा का जल एवं आंशिक आबादी का घरेलू सीवेज बिना समुचित शोधन के निस्तारित किया जाता है। ग्राम अर्राना की स्टेट हाईवे की दक्षिण दिशा में स्थित लगभग–80 घरों (आबादी 400) से निस्तारित होने वाले घरेलू उत्प्रवाह का निरतारण बिना समुचित शोधन के शिकायतकर्ता के घर के पास में नवनिर्मित तालाब में किया जा रहा है।

उक्त गांव से प्रतिदिन जनित होने वाले घरेलू ठोस अपशिष्ट की मात्रा लगभग–48 किग्रा0/दिन है। ग्राम प्रधान द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार ग्राम सभा अर्राना से लगभग–200 किग्रा0/दिन गोबर/वेस्ट जनित होता है, जिसको कम्पोस्ट खाद बनाये जाने के उद्देश्य से शिकायतकर्ता के मकान के सामने ग्राम पंचायत की जमीन पर 05–06 घूरे (गोबर/वेस्ट का ढेर) में निस्तारित किया जाता है। निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता द्वारा तालाब एवं गोबर/कूड़े से गन्दगी, दुर्गन्ध आदि से समस्या होना अवगत कराया गया। निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त तालाब में मिट्टी डलवाकर समतल करा दिया जाये तथा उनके आवास के सामने गोबर/कूड़े को हटवा दिया जाये तो समस्या का समाधान हो जायेगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक–1207/ओ0ए0 नं0–745/2023/24, दिनांक 13.08.2024 एवं पत्रांक–1519/ओ0ए0 नं0–745/23/2024, दिनांक 19.09.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्याओं में ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम अर्राना, तहसील खैर, अलीगढ़ एवं खण्ड विकास अधिकारी, तहसील खैर, अलीगढ़ के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 यथासंशोधित की धारा–5 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–745/2023 ममता शर्मा बनाम पंचायत अर्राना व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.05.2024 एवं 16.07.2024 के अनुपालन के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पंचायत अर्राना से जनित होने वाले नगरीय सीवेज के शुद्धिकरण/निस्तारण तथा घरेलू ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु समुचित प्रबन्धन करते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या 15 दिनों के अन्दर समयबद्ध रूप से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रकरण पर मा0 एन0जी0टी0 में आगामी सुनवाई हेतु तिथि 03.10.2024 नियत है। उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने की दशा में पर्यावरणीय अधिनियमों में निहित प्राविधानों के अंतर्गत की जाने वाली अभियोजनात्मक कार्यवाही हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,
Atulesh yadav
(अतुलेश यादव)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
2. मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।

Atulesh yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4